राजस्थान सरकार

कार्यालय जिला रसद अधिकारी, पाली

क्रमांकःरसद/उमूदु/2025/741 दिनांक :22.07.2025

–: विज्ञप्ति :–

राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश, 1976 के खण्ड3(1) के तहत उचित मूल्य दुकानों के प्राधिकार पत्र जारी किए जाने हेतु खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, राजस्थान जयपुर के दिशा निर्देश एफ.17(16)खा.वि./विधि/08 दिनांक 17.03.2016 एवं पत्रांक एफ.17 (5) खा.वि./न्याय/महि.आर./2019 दिनांक 25.11.2020 के द्वारा दिये गये निर्देशों की पालना में जिले में निम्नानुसार कुल 74 रिक्त एवं नवसृजित उचित मूल्य दुकानों के आवंटन हेतु आवेदन पत्र आमन्त्रित किये जाते है।

–: जिले में तहसीलवार रिक्त उचित मूल्य दुकानों का ग्राम/वार्डवार विवरण :–

क्र. सं.	क्षैत्र	ग्राम/नगर पालिका	ग्राम पंचायत/न.प.	रिक्त/ नवसृजित	30 प्रतिशत महिला आरक्षण की स्थिति	45 प्रतिशत टीएसपी आरक्षण की स्थिति
			तहसील–पाली			
1	नगर निगम, पाली	न.प. पाली शहर (19042)	चिमनपुरा, पाली शहर (पुराना वार्ड संख्या 45)	रिक्त	–	–
2	नगर निगम, पाली	न.प. पाली शहर (19058)	महाराणा प्रताप नगर, पाली शहर (पुराना वार्ड संख्या 41)	रिक्त	महिला आरक्षित	–
3	नगर निगम, पाली	न.प. पाली शहर	शहीद भगतसिंह नगर (बीपीएल कॉलोनी) पाली शहर (पुराना वार्ड संख्या 9)	नवसृजित	–	–
4	नगर निगम, पाली	न.प. पाली शहर	सोसायटी नगर (सरदार समंद रोड) पाली शहर (पुराना वार्ड संख्या 39 व 40)	नवसृजित	–	–
5	नगर निगम, पाली	न.प. पाली शहर	खरादियों का बास, पाली शहर (पुराना वार्ड संख्या 23)	नवसृजित	–	–
6	पंचायत समिति, पाली	ग्राम जूनी एंदला (1650)	जूनी एंदला	रिक्त	महिला आरक्षित	–
7	पंचायत समिति, पाली	ग्राम इन्द्रानगर (1674)	इन्द्रानगर	रिक्त	–	–
8	पंचायत समिति, पाली	ग्राम खैरवा (16059)	खैरवा	रिक्त	–	–
9	पंचायत समिति, पाली	ग्राम मणिहारी (16060)	मणिहारी	रिक्त	महिला आरक्षित	–
10	पंचायत समिति, पाली	ग्राम बुधवाडा	सोनाईमांझी	नवसृजित	महिला आरक्षित	–
11	पंचायत समिति, पाली	ग्राम डेण्डा	डेण्डा	नवसृजित	–	–
12	पंचायत समिति, पाली	ग्राम जैतपुरा	डिंगाई	नवसृजित	–	–
13	पंचायत समिति, पाली	ग्राम रामासिया	हेमावास	नवसृजित	महिला आरक्षित	–
14	पंचायत समिति, पाली	ग्राम भांवरी	भांवरी	नवसृजित	महिला आरक्षित	–

22/07/2025

तहसील–रोहट						
15	पंचायत समिति, रोहट	ग्राम धर्मधारी (1600)	धर्मधारी	रिक्त	–	–
16	पंचायत समिति, रोहट	ग्राम धोलेरिया (1624)	धोलेरिया	रिक्त	–	–
17	पंचायत समिति, रोहट	ग्राम वायद–।।	वायद	नवसृजित	–	–
18	पंचायत समिति, रोहट	ग्राम माण्डावास–।।	माण्डवास	नवसृजित	महिला आरक्षित	–
19	पंचायत समिति, रोहट	ग्राम सिणगारी–।।	सिणगारी	नवसृजित	महिला आरक्षित	–
20	पंचायत समिति, रोहट	ग्राम ढाबर	ढाबर	नवसृजित	–	–
तहसील–सोजत						
21	पंचायत समिति सोजत	ग्राम गुडा श्यामा	गुडा श्यामा	नवसृजित	–	–
22	पंचायत समिति सोजत	ग्राम बासनी जोधराम	बागावास	नवसृजित	–	–
23	पंचायत समिति सोजत	ग्राम सांदवान	सांदवान	नवसृजित	–	–
24	पंचायत समिति सोजत	ग्राम लाखा का खेत	गजनई	नवसृजित	–	–
25	पंचायत समिति सोजत	ग्राम पाचुण्डा खुर्द	पाचुण्डा खुर्द	नवसृजित	–	–
26	पंचायत समिति सोजत	ग्राम खोडिया	खोडिया	नवसृजित	–	–
27	पंचायत समिति सोजत	ग्राम रेपडावास	रेपडावास	नवसृजित	–	–
तहसील–मारवाड जंक्शन						
28	नगर पालिका मा.जं.	मारवाड जं. (1736)	मारवाड जं. (पुराना वा.सं. 4 व 5)	रिक्त	–	–
29	नगर पालिका मा.जं.	खारची (1735)	खारची	रिक्त	–	–
30	पंचयात समिति मा.जं.	ग्राम बान्ता (1677)	बान्ता	रिक्त	–	–
31	पंचयात समिति मा.जं.	ग्राम देवली (1694)	देवली	रिक्त	–	–
32	पंचयात समिति मा.जं.	ग्राम गादाना (1700)	गादाना	रिक्त	–	–
33	पंचयात समिति मा.जं.	ग्राम खारडी (1713)	खारडी	रिक्त	महिला आरक्षित	–
34	पंचयात समिति मा.जं.	ग्राम वौपारी (15978)	वौपारी	रिक्त	–	–
35	पंचयात समिति मा.जं.	ग्राम बोरीमादा (16113)	बोरीमादा	रिक्त	–	–
36	पंचयात समिति मा.जं.	ग्राम गोलफी	बांसौर	नवसृजित	–	–
37	पंचयात समिति मा.जं.	ग्राम बासनी जोजावर	बासनी जोजावर	नवसृजित	–	–
तहसील–बाली						
38	नगर पालिका बाली	नगर पालिका बाली (18376)	बाली (पुराना वा.सं. 16 से 18 तक)	रिक्त	–	–
39	पंचायत समिति बाली	ग्राम मुण्डारा (1884)	मुण्डारा	रिक्त	महिला आरक्षित	–

22/07/2025

40	पंचायत समिति बाली	ग्राम चिमनपुरा (1907) TSP AREA	चिमनपुरा	रिक्त	–	–
41	पंचायत समिति बाली	ग्राम बिसलपुर (28734)	बिसलपुर	रिक्त	–	–
42	पंचायत समिति बाली	ग्राम धणी (1852)	धणी	रिक्त	–	–
43	पंचायत समिति बाली	ग्राम गोरिया (8331) TSP AREA	गोरिया	रिक्त	महिला आरक्षित	–
44	पंचायत समिति बाली	ग्राम दानवरली (15875) TSP AREA	बेरडी	रिक्त	–	टीएसपी आरक्षित
45	पंचायत समिति बाली	ग्राम जीवदा	सैणा	नवसृजित	महिला आरक्षित	–
46	पंचायत समिति बाली	ग्राम चामुण्डेरी+कागडी	धणी	नवसृजित	–	–
47	पंचायत समिति बाली	ग्राम गुडा गुमानसिंह	पादरला	नवसृजित	महिला आरक्षित	–
48	पंचायत समिति बाली	ग्राम बीजापुर–।।	बीजापुर	नवसृजित	–	–
49	पंचायत समिति बाली	ग्राम बेडा	बेडा	नवसृजित	–	–
50	पंचायत समिति बाली	ग्राम सेवाडी	सेवाडी	नवसृजित	–	–
तहसील–सुमेरपुर						
51	पंचायत समिति सुमेरपुर	ग्राम दुजाणा (1796)	दुजाणा	रिक्त	–	–
52	पंचायत समिति सुमेरपुर	ग्राम खिन्दारा	सिन्दरू	नवसृजित	–	–
53	पंचायत समिति सुमेरपुर	ग्राम आकदडा	देवतरा	नवसृजित	महिला आरक्षित	–
54	पंचायत समिति सुमेरपुर	ग्राम पोयणा	बामनेरा	नवसृजित	–	–
तहसील–रानी						
55	पंचायत समिति रानी	ग्राम वरकाणा (1915)	वरकाणा	रिक्त	–	–
56	पंचायत समिति रानी	ग्राम जीवन्दकलां (1936)	जीवन्दकलां	रिक्त	महिला आरक्षित	–
57	पंचायत समिति रानी	ग्राम खौड (1945)	खौड	रिक्त	–	–
58	पंचायत समिति रानी	ग्राम निम्बाडा (1952)	निम्बाडा	रिक्त	–	–
59	पंचायत समिति रानी	ग्राम विंगरला (15995)	विंगरला	रिक्त	महिला आरक्षित	–
60	पंचायत समिति रानी	ग्राम खारडा (1925)	खारडा	रिक्त	–	–
61	पंचायत समिति रानी	ग्राम ईटन्दरा मेडतियान (1934)	ईटन्दरा मेडतियान	रिक्त	–	–
62	पंचायत समिति रानी	ग्राम खटुकडा	नादाना भाटान	नवसृजित	महिला आरक्षित	–
63	पंचायत समिति रानी	ग्राम रूंगडी	सांवलता	नवसृजित	–	–
64	पंचायत समिति रानी	ग्राम टोकरला	केरली	नवसृजित	–	–
65	पंचायत समिति रानी	ग्राम गुडा केसरसिंह	नीपल	नवसृजित	–	–

22/07/2025

तहसील–देसूरी						
66	नगर पालिका सादडी	नगर पालिका सादड़ी (18443)	न. पा. सादडी (पुराना वा.सं. 4)	रिक्त	महिला आरक्षित	–
67	पंचायत समिति देसूरी	ग्राम सिंदरली (1773)	सिंदरली	रिक्त	–	–
68	पंचायत समिति देसूरी	ग्राम अटारिया	केसूली	नवसृजित	महिला आरक्षित	–
69	पंचायत समिति देसूरी	ग्राम सामरिया	कोट सोलंकियान	नवसृजित	महिला आरक्षित	–
70	पंचायत समिति देसूरी	ग्राम उन्दरथल	बडौद	नवसृजित	–	–
71	पंचायत समिति देसूरी	ग्राम वीरमपुरा माताजी	ढालोप	नवसृजित	महिला आरक्षित	–
72	पंचायत समिति देसूरी	ग्राम सादलवा+टीपरी	कोट बालियान	नवसृजित	महिला आरक्षित	–
73	पंचायत समिति देसूरी	ग्राम पनोता–।।	पनोता	नवसृजित	–	–
74	पंचायत समिति देसूरी	ग्राम देसूरी	देसूरी	नवसृजित	–	–

आवेदक की योग्यताएं एवं शर्तें :–

आवेदन पत्र निर्धारित प्रपत्र में होगा, जो विभागीय पोर्टल food.raj.nic.in पर उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त जिला रसद कार्यालय पाली के कमरा नम्बर 5 से प्राप्त किया जा सकेगा। जिस पर आवेदनकर्ता का नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो लगा होगा तथा एक फोटो अलग से आवेदन के साथ संलग्न कर प्रस्तुत करना होगा। आवेदन पत्र जिला रसद कार्यालय, पाली में ही जमा होगे। एक आवेदन पत्र का मूल्य 100/– रूपये निर्धारित है। जिला रसद कार्यालय, पाली में आवेदन पत्र निर्धारित शुल्क का डी.डी. अथवा भारतीय पोस्टल ऑर्डर के साथ जमा कराये जा सकेंगे, जो अप्रतिदेय और अहस्तांतरणीय होगा।

1. शहरी क्षैत्र की उचित मूल्य दुकान हेतु आवेदक के मामले में *आवेदक वर्ष 2013 से जारी डिजिटल राशनकार्ड* के अनुसार उसी वार्ड का निवासी होना चाहिए, जिस वार्ड के उपभोक्ताओं को राशन सामग्री वितरण करनी है अर्थात् उस उचित मूल्य दुकान की अधिकारिता क्षैत्र में स्थित वार्डों में से किसी एक वार्ड का निवासी होना चहिए। ग्रामीण क्षैत्र की उचित मूल्य दुकान के मामले में आवेदक उसी ग्राम पंचायत के किसी ग्राम या वार्ड का निवासी होना आवश्यक है, जिस ग्राम पंचायत में उचित मूल्य दुकान स्थित है।
2. सभी श्रेणी के आवेदकों की आयु 21 से 45 वर्ष तक होनी चाहिए अर्थात् उचित मूल्य दुकान के आवेदन पत्र प्राप्त करने की अन्तिम तिथि को आवेदक की आयु 21 वर्ष से कम तथा 45 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। (उम्र के प्रमाण हेतु दसवीं की अंक तालिका/प्रमाण पत्र या अन्य अंक तालिका/प्रमाण पत्र जिसमें जन्म तिथि अंकित होनी चाहिए।)
3. शैक्षणिक योग्यता न्यूनतम हायर सैकण्डरी (12 वीं) उत्तीर्ण एवं कम्प्यूटर में न्यूनतम जानकारी राजस्थान नॉलेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड (RKCL) या अन्य समकक्ष संस्थान का तीन माह का आधारभूत प्रशिक्षण प्रमाण पत्र होना चाहिए। यदि चयनित आवेदक कम्प्यूटर में प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया हुआ हो तो आवेदक यह शपथ पत्र देगा कि वो चयनित होने के 8 माह की अवधि में प्रशिक्षण प्राप्त कर लेगा व ऐसे चयनित व्यक्तियों को प्रशिक्षण के बाद ही प्राधिकार पत्र जारी किया का सकेगा। आवेदक सहकारी समितियां/स्वयं सहायता समूह होने पर संबंधित अध्यक्ष/सचिव/प्रबन्धक को कम्प्यूटर दक्षता एवं शैक्षणिक योग्यताओं को पूर्ण करना अनिवार्य होगा तथा इस बाबत प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा। कम्प्यूटर प्रशिक्षण संबंधी शिथिलता विभागीय आदेश दिनांक 29.09.2020 के तहत प्रदान की जावेगी।
4. आवेदक को आवेदन पत्र में अंकित घोषणाओं के संबंध में 50/– रूपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर नोटेरी करवाकर सत्यापित शपथ पत्र देना होगा।
5. आवेदक स्वयं अथवा आवेदक की पत्नि/पति निर्वाचित जनप्रतिनिधि नहीं होने चाहिए।
6. आवेदक का चाल–चलन सही होना चाहिए तथा आवेदक दिवालिया घोषित नहीं होना चाहिए।
7. आवेदक गत 10 वर्षों में आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत दण्डित हुआ नहीं होना चाहिए।
8. आवेदक के घर में कार्यशील शौचालय होना चाहिए।

22/07/2024

9. उचित मूल्य दुकान हेतु आवेदन करने वाले पुरूष/महिला के दिनांक 01.01.2015 के बाद पैदा हुई सन्तान सहित 2 से अधिक सन्तान नहीं होनी चाहिए।
10. प्रस्तावित दुकान का नक्शा साईट प्लान तथा रूट प्लान के साथ सही माप में दर्शाकर ब्लू प्रिन्ट नक्शा तीन प्रति में स्वप्रमाणित करके प्रस्तुत किया जायेगा। नक्शे में प्रस्तावित दुकान के आगे-पीछे व दाये-बाये स्थित भवनों/स्थानों/भूमि/सडक का स्पष्ट विवरण दिशा ज्ञान के साथ अंकित किया जाना आवश्यक है। प्रस्तावित दुकान किराये की होने पर किराया अनुबंध की प्रति/स्वयं की होने पर पट्टे की प्रति स्वप्रमाणित कर संलग्न की जायेगी। दुकान केन्द्रीय स्थल पर स्थित हो, तो उपभोक्ता आसानी से राशन सामग्री लेने हेतु पंहुच सके। प्रस्तावित दुकान सुरक्षा एवं यातायात के साधन के दृष्टिकोण से उचित स्थान पर होनी चाहिए। प्रस्तावित दुकान 30 फीट सडक पर स्थित होकर न्यूनतम 200 वर्गफीट की होनी चाहिए तथा दुकान का द्वार/शटर न्यूनतम 10 x 10 फीट का होना आवश्यक है।
11. संबंधित तहसीलदार द्वारा आवेदक के सबंध में जारी न्यूनतम 100000/- रूपये का मूल हैसियत प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जायेगा। (हैसियत प्रमाण पत्र छः माह से अधिक पुराना होने पर मान्य नहीं होगा। महिला स्वयं सहायता समूह के लिए कार्यक्रम अधिकारी महिला अधिकारिता विभाग की अभिशंषा सहित समूह की वित्तीय हैसियत न्यूनतम 25 हजार रूपये होने संबंधी प्रमाण पत्र की प्रति प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा।
12. उचित मूल्य दुकान प्राधिकार पत्रधारी जिनके विरूद्ध गंभीर अनियमितताएं पाये जाने पर गत 10 वर्षों में प्राधिकार पत्र निरस्त किया गया हो, तो ऐसे आवेदकों को उचित मूल्य दुकान आवंटित नहीं की जावेगी तथा आवेदक किसी भी न्यायालय से सजायाफ्ता अथवा कोई प्रकरण विचाराधीन नहीं होना चाहिए।
13. आवेदक को दो राजपत्रित अधिकारियों द्वारा जारी चरित्र प्रमाण अथवा पुलिस सत्यापन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, जो कि 6 माह से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए।
14. आवेदक दिवालिया नहीं हो, इस संबंध में आवेदक को स्वप्रमाणित सादे पेपर पर शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।
15. चयनित आवेदक उचित मूल्य दुकान का संचालन स्वयं करेगा तथा अन्य किसी व्यक्ति को सबलेट नहीं करेगा।
16. आवेदक के परिवार में से किसी सदस्य के नाम उचित मूल्य दुकान नहीं होनी चाहिए।
17. खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, जयपुर के पत्रांक एफ.17(11)खा.वि./न्याय/उदयपुर/2012 जयपुर दिनांक 23.06.2022 के द्वारा "उचित मूल्य दुकान आवंटन के दौरान एक ग्राम सेवा सहकारी समिति/लैम्पस (वृहत्त बहुउद्देशीय सहकारी समिति) को एक से अधिक प्राधिकार पत्र जारी किये जाने हेतु पात्र नहीं माने जायेगे।"
18. आवेदन पत्र कार्यालय में जमा करने की अंतिम तिथि 12 अगस्त, 2025 को सांय 5.00 बजे तक नियत रहेगी।

चयन की प्राथमिकता :-

प्रथम वरीयता : (1) ग्राम सेवा सहकारी समिति/लेम्पस् (वृहत्तर क्षैत्रीय बहुउद्देशीय सहकारी समिति)/ दुग्ध उत्पादन सहकारी समिति, जो कि सहकारी अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत हो। (2) महिला स्वयं सहायता समूह, जो राज्य सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग, रजिस्ट्रार कॉ-ऑपरेटिव से चयनित अथवा मान्यता प्राप्त हो तथा न्यूनतम 3 वर्ष का कार्यानुभव हो (3) निगमित निकाय/ग्राम पंचायत।

- यदि आवेदक महिला स्वयं सहायता समूह है, तो आवेदन पत्र के साथ संस्था का विधान पत्र तथा आवेदक के नाम आवेदन करने हेतु जारी प्रस्ताव पत्र की प्रति संलग्न करनी होगी। उप निदेशक/ सहायक निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग या रजिस्ट्रार कॉ-ऑपरेटिव से चयनित अथवा मान्यता प्राप्त होने का प्रमाण पत्र मय तीन संपरीक्षा (ऑडिट रिपोर्ट) में गंभीर अनियमितता नहीं होने का प्रमाण पत्र तथा समूह की वित्तीय हैसियत के सबंध में उनकी अंश पूंजी विवरण, कार्यशील पूंजी विवरण तथा वार्षिक कुल राशि का विवरण एवं विगत दो वित्तीय वर्ष व चालू वर्ष के बैंक खाते का स्टेटमेन्ट की प्रति मय उपनिदेशक/सहायक निदेशक की अभिशंषा संलग्न करनी होगी।

- यदि आवेदक सहकारी समितियां है, जो कि सहकारी अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत हो, तो आवेदन पत्र के साथ संस्था का विधान पत्र तथा आवेदक के नाम आवेदन करने हेतु जारी प्रस्ताव पत्र की प्रति संलग्न करनी होगी। सहायक पंजीयक/उप पंजीयक से मान्यता प्राप्त होने का प्रमण पत्र मय तीन संपरीक्षा (ऑडिट रिपोर्ट) में गंभीर अनियमितता नहीं होने का प्रमाण पत्र तथा समूह की वित्तीय हैसियत के संबंध में उनकी अंश पूंजी विवरण, कार्यशील पूंजी विवरण तथा वार्षिक कुल राशि का विवरण एवं विगत दो वित्तीय वर्ष व चालू वर्ष के बैंक खाते का स्टेटमेन्ट की प्रति मय उपनिदेशक/सहायक निदेशक की अभिशंषा संलग्न करनी होगी।

22/07/2025

द्वितीय वरीयता व्यक्तिगत :– (प्रथम वरीयता में आवेदन उपलब्ध नहीं होने पर) (1) निःशक्त जन (2) महिलाएं (अ) शहीद की विधवा (वीरांगना), (ब) विधवा, (स) परित्यक्ता, (3) भूतपूर्व सैनिक (4) अन्य पात्र बेरोजगार

- निःशक्त जन को स्वास्थ्य विभाग का प्रमाण पत्र या समाज कल्याण विभाग का प्रमाण पत्र, वीरांगना को सेना द्वारा जारी प्रमाण पत्र, विधवा परित्यक्ता को संबंधित विभाग का प्रमाण पत्र, भूतपूर्व सैनिक को सेना से डिस्चार्ज होने का प्रमाण पत्र, बेरोजगार को एम्प्लोयमेन्ट एक्सचेंज का पंजीयन प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न करनी आवश्यक होगी।
- द्वितीय वरीयता के अन्तर्गत चयनित उचित मूल्य दुकानदार की कार्य करने की अधिकतम सीमा 60 वर्ष की आयु तक होगी।

उपरोक्त रिक्तियों के संबंध में विभागीय पत्रांक एफ.17(1)खा.वि./विधि/08 जयपुर दिनांक 17.03.2016 द्वारा जारी उचित मूल्य दुकानों के आवंटन के दिशा–निर्देशों में वर्णित चयन प्रक्रिया अनुसार कार्यवाही की जायेगी। रिक्त/नवसृजित उचित मूल्य दुकानों के संबंध में विस्तृत जानकारी एवं विभागीय दिशा–निर्देश दिनांक 17.03.2016 विभागीय वेबसाईट food.raj.nic.in व जिला रसद कार्यालय, पाली में अवलोकन हेतु उपलब्ध है।

आवेदन पत्र राजकीय अवकाश के दिनों को छोडकर कार्यालय समय में दिनांक 24 जुलाई, 2025 को प्रातः 10.00 बजे से दिनांक 12 अगस्त 2025 को सांय 5:00 बजे तक जिला रसद कार्यालय के कमरा नंबर 5 में जमा करवा सकते है। नियत तिथि पश्चात आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

नोट :– उक्त विज्ञप्ति में दुकानो का आवंटन/नियुक्ति एवं संशोधन का अंतिम निर्णय जिला कलक्टर (रसद) का होगा एवं उचित मूल्य दुकानों की संख्या में कमी/वृद्धि/निरस्त या स्थान परिवर्तन या संशोधन हेतु जिला कलक्टर (रसद) सक्षम होगे।

22/07/2025

जिला रसद अधिकारी
पाली
दिनांक 22.07.2025

क्रमांक/रसद/प्राधिकार–पत्र/2025/752
प्रतिलिपि :–

1. श्रीमान शासन सचिव महोदय, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग राज. जयपुर
2. श्रीमान अतिरिक्त खाद्य आयुक्त, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग राज. जयपुर
3. माननीय सांसद महोदय, लोकसभा क्षेत्र, पाली/राजसमंद
4. श्रीमान जिला प्रमुख महोदय, पाली
5. श्रीमान विधायक, विधान सभा क्षेत्र..
6. ए.सी.पी. खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, जयपुर को विभागीय पोर्टल पर अपलोड करने बाबत्
7. उपखण्ड अधिकारी/तहसीलदार ....
8. उप रजिस्ट्रार सहकारी समितियां, पाली
9. जिला जनसम्पर्क अधिकारी पाली को समाचार पत्रों में निः शुल्क प्रकाशन एवं प्रचार प्रसार हेतु।
10. प्रवर्तन अधिकारी,/ प्रवर्तन निरीक्षक..
11. प्रधान पंचायत समिति..
12. अध्यक्ष नगरपालिका /पार्षद/सरपंच......................
13. विकास अधिकारी, पंचायत समिति (समस्त) नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।
14. संरपच ग्राम पंचायत............................तहसील............जिला पाली
15. जिला कलक्टर कार्यालय नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।
16. जिला रसद कार्यालय, पाली पर नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।

22/07/2025

जिला रसद अधिकारी
पाली

राजस्थान सरकार
कार्यालय जिला रसद अधिकारी, पाली

क्रमांक/रसद/उमूदु/2025/748 दिनांक 23.07.2025

संशोधित विज्ञप्ति सूचना

इस कार्यालय द्वारा दिनांक 22.07.2025 को आदेश क्रमांक/रसद/उमूदु/2025/741 के द्वारा रिक्त एवं नवसृजित कुल 74 उचित मूल्य दुकान की विज्ञप्ति जारी की गयी थी। उक्त विज्ञप्ति के क्रम संख्या 72 पर अंकित उचित मूल्य दुकान ग्राम पंचायत सादलावा एवं ग्राम टिपरी का नाम तहसील बाली के स्थान पर तहसील देसूरी अंकित हो गया था। अतः तहसील देसूरी के स्थान पर तहसील बाली पढा जावे।

(मनजीत सिंह)
जिला रसद अधिकारी
पाली

क्रमांक/सम/2025/749-780 दिनांक 23.07.2025

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :—

1. श्रीमान शासन सचिव महोदय, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग राज. जयपुर
2. श्रीमान अतिरिक्त खाद्य आयुक्त, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग राज. जयपुर
3. माननीय सांसद महोदय, लोकसभा क्षेत्र, पाली/राजसमंद
4. श्रीमान जिला प्रमुख महोदय, पाली
5. श्रीमान विधायक, विधान सभा क्षेत्र...
6. ए.सी.पी. खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, जयपुर को विभागीय पोर्टल पर अपलोड करने बाबत्
7. उपखण्ड अधिकारी/तहसीलदार ....
8. उप रजिस्ट्रार सहकारी समितियां, पाली
9. जिला जनसम्पर्क अधिकारी पाली को समाचार पत्रों में निः शुल्क प्रकाशन एवं प्रचार प्रसार हेतु।
10. प्रवर्तन अधिकारी,/ प्रवर्तन निरीक्षक...
11. प्रधान पंचायत समिति...
12. अध्यक्ष नगरपालिका /पार्षद/सरपंच......................
13. विकास अधिकारी, पंचायत समिति (समस्त) नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।
14. संरपच ग्राम पंचायत............................तहसील............जिला पाली
15. जिला कलक्टर कार्यालय नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।
16. जिला रसद कार्यालय, पाली पर नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।

जिला रसद अधिकारी
पाली

D:\Year 2025\FPS Advertisement 2025\Office Order.doc